

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई) / (एस-3593 / 2013) / अलेसे-III / 462-70

दिनांक :- 18/07/2024

आदेश संख्या : 145 / 2024-25

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (पं.रा.प्र.), बांसवाड़ा (राज.) ने अपने पत्र दिनांक 18.07.2024 द्वारा अवगत कराया है कि थाना अधिकारी पुलिस थाना कुशलगढ के अनुसार श्री शंकरलाल, कनिष्ठ लेखाकार, (लिनक नं. 10352) कार्यालय जिला परिषद् (पं.रा.प्र.), बांसवाड़ा (राज.) को उनके विरुद्ध वगैरा रिपोर्ट पर प्रोसो 207 / 2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादस व 66 डी आईटी एक्ट व धारा 3,4,6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम 1992 में दर्ज कर श्री शंकरलाल को दिनांक 16.07.2024 को प्रकरण हाजा में गिरफ्तार पुलिस हिरासत में लिया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री शंकरलाल, कनिष्ठ लेखाकार को गिरफ्तारी दिनांक 16.07.2024 से पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण उनको दिनांक 16.07.2024 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय, भीलवाड़ा में रहेगा।

श्री शंकरलाल, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

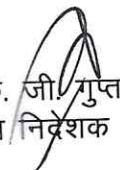

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 18/07/2024

क्रमांक:-एफ.4(ई) / (एस-3593 / 2013) / अलेसे-III / 462-470
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (पं.रा.प्र.), बांसवाड़ा (राज.)।
3. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री शंकरलाल, कनिष्ठ लेखाकार
7. गोपनीय शाखा / पदस्थापन सीट।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


(कै. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)